

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय

अनुभागों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

.....को समाप्त तिमाही

अनुभाग का नाम .....

संबंधित अधिकारी का फोन नं.: ..... इंटरकॉम नंबर.....

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात (इनमें सामान्य आदेश, जापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर-नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं)

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या : .....
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या : .....
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात : .....

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या : .....
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए : .....
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए : .....
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे : .....

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

4. भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

5. तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां (पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए)

(क) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....

(ख) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....

(ग) कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....

6. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें (संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें)

(क) तिमाही के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या : .....

(ख) इनमें से कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाई पूरी तरह से हिंदी में की गई : .....

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

अनुभाग अधिकारी/संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

वरिष्ठ अधिकारी/निदेशक के हस्ताक्षर : .....

(नोट : यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी/निदेशक के हस्ताक्षर न होने पर लौटा दी जाएगी)